

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पौचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 15/03/2017.

क्रमांक- 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।


2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2017-18 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अमिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 31/12/2016 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/01/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डबल्यू.पी. 8151/2016 में दिनांक 13/01/2017 को पारित निर्णय के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 289/11/न्याया/17/सीसी/अडतीस दिनांक 27/02/2017 के तहत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श किया जाना अनिवार्य किया गया है।

5. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर मार्गदर्शिका की कडिका 3.1(5) के पालन में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु संस्थावार सूचना संस्था के "लॉग-ईन" पर "अपलोड" कर, एवं इसकी सामान्य सूचना विभागीय 'डैब-साईट' पर प्रदर्शित की जाकर पूर्ति के दस्तावेज प्राप्त किये गये। विश्वविद्यालयवार संख्या अग्रलिखित है :-

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की संख्या
1	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	10
2	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	08
3	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	06
4	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	03
5	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर	05
6	अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा	06
7	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	03


विशेष कार्यस्थल अधिकारी
उच्च शिक्षा : सतपुडा भवन
सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.)


6. प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा शासनादेश दिनांक 27/02/2017 के पालन में विश्वविद्यालय का अभिमत प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि आवेदित नवीन महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों संबंधी अभिलेख विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। कॉलेज कोड 27 के प्रावधानानुसार सम्बद्धता की कार्यवाही की जावेगी एवं परिनियम 28 के पालन हेतु महाविद्यालय से सफ़्त-पत्र प्राप्त किया जावेगा।

7. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, विश्वविद्यालयों से प्राप्त अभिमत के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण किया गया।

8. विश्वविद्यालयों के अभिमत तथा परीक्षण के तथ्यों को दृष्टिगत रख आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा, उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

(1)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	आल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युटेक्नोलॉजी होशंगाबाद रोड, भोपाल
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा10 आईसेक्ट कॉलेज आफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, छद्मगांव माखन जिला खण्डवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम(हिन्दी,राजनीति,समाज) बी0काम0-प्रथम-टेकशेशन
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महावि. होने से शासन से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही दि.वि. द्वारा परिनियम 27 के प्रावधानों के तहत निरीक्षण समिति गठित कर विद्या परिषद् की स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार नवीन महावि. को संबद्धता देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. कच मात्र 59/1 एवं 61/1 खसरा की भूमि कच की है जबकि भवन पूर्णता प्रमाण पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल अन्य 03 खसरा का मिलाकर है, अतः मूल निर्मित क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं है। अतः कमी की संख्या का मिलान किया जाना संभव नहीं है। 2. धारा 21 की कार्यवाही पूर्ण नहीं है। 3. प्रस्तुत मानचित्र में संस्था का उल्लेख नहीं है। 4. अग्रणी महा0 से दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया गया है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम निरंक


विशेष कार्यस्थल अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुरा: भदर भोपाल (म.प्र.)

नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०ए०-प्रथम(हिन्दी,राजनीति,समाज) बी०काम०-प्रथम-टेक्सेशन
---	------------------	--


(2)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्रीनाथ शिदा समिति, धरमपुरी
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा० विक्रम इंस्टी० आफ मैनेजमेंट एण्ड साइंस, इकलेरा बुजुर्ग मनावर रोड, धरमपुरी जिला धार
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०ए०-प्रथम-हिन्दी,अर्थशास्त्र,समाज,अति०वि०-कम्प्यु०,रसायन,बाटनी,जूर्लोजी, सीड टेक्नोलॉजी, सोईल कंजरवेशन एण्ड वाटर मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक, गणित 2-बी०काम०-प्लेन/अति०वि०-कम्प्यु०ए० 3-होमसाइंस-प्रथम
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महावि. होने से राज्य शासन से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही दि.वि. द्वारा परिनियम 27 के प्रावधानों के तहत निरिक्षण समिति गठित कर विद्या परिषद् की स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार नवीन महावि. को संबद्धता देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	संस्था की लीज डीड 29 वर्ष 11 माह का होने एवं भवन निर्माणाधीन होने से प्रकरण विचार योग्य नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक 1-बी०ए०-प्रथम-हिन्दी, अर्थशास्त्र,समाज,अति०वि०-कम्प्यु०,रसायन,बाटनी,जूर्लोजी, सीड टेक्नोलॉजी, सोईल कंजरवेशन एण्ड वाटर मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक, गणित 2-बी०काम०-प्लेन/अति०वि०-कम्प्यु०ए० 3-होमसाइंस-प्रथम


विशेष कार्यस्थ बधिकारी
उच्च शिक्षा महाविद्यालय
सतपुरा, धरम, बीपाल (ग.प्र.)

(3)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	नेमा एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट सोसायटी, इंदौर
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा10 श्रीजी डिग्री कालेज, गायत्री मंदिर के पास, खण्डवा रोड, खरगीन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी10एससी10-कम्प्यूटर साइंस, फिजिक्स, गणित अति0वि0-बाटनी,केमिस्ट्री, सोईलकंजरवेशन एण्ड वाटर मैनेजमेंट 2-बी10काम0-प्लेन/अति0वि0-कम्प्यु0 एप्ली0 एवं टेक्स प्रोसीजर एण्ड प्रेक्टिस
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महावि. होने से राज्यशासन से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् डी वि.वि. द्वारा परिचियम 27 के प्रावधानों के तहत निरिक्षण समिति गठित कर शिक्षा परिषद् की स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार नवीन महावि. को संबद्धता देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1.भवन पूर्णता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय द्वारा जारी नहीं है। 2. धारा 21 का भूमि कय अनुमति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 3. महाविद्यालय जिस परिसर में है उस परिसर में निर्मित भवन में 9000 वर्गफीट नवीन महा10 के लिए बंटाई जा रही है, किन्तु स्पष्ट जानकारी नहीं है। पूर्णता पत्र 10,000 वर्गफीट प्राप्त है। 4. निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित शासकीय महा10 में 50 प्रतिशत से कम प्रवेश हुये हैं। 5. नदरों में एक से अधिक भवन में संरचनाएँ दृष्टिगोचर है यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य पाठ्यक्रम तो उस परिसर में संचालित नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक 1-बी10एससी10-कम्प्यूटर साइंस, फिजिक्स, गणित अति0वि0-बाटनी,केमिस्ट्री, सोईलकंजरवेशन एण्ड वाटर मैनेजमेंट 2-बी10काम0-प्लेन/अति0वि0 कम्प्यु0 एप्ली0 एवं टेक्स प्रोसीजर एण्ड प्रेक्टिस



विशेष कार्यप्रमुख अधिकारी
उच्च शिक्षा, अशासकीय महाविद्यालय
कतपुडा भवन, पोपाल (म.प्र.)

(4)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	एच0के0 कल्युरी एजु0 ट्रस्ट इंदौर
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा0 लक्ष्मीनारायण कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, इंदौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-प्रथम-भौतिक, गणित, रसायन 2-बी0काम0-प्रथम-प्लेन/अति0वि0-टेक्स प्रो. 3-बी0बी0ए0-प्रथम
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महावि. होने से राज्यशासन से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही वि.वि. द्वारा परिनियम 27 के प्रावधानों के तहत निरीक्षण समिति गठित कर विद्या परिषद् की स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार नवीन महावि. को संबद्धता देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	पाठ्यक्रमों का शुल्क अंतिम तिथि के बाद दि0 08-03-2017 को जमा होने के कारण आवेदन विद्यार योग्य नहीं।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टोप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक 1-बी0एससी0-प्रथम-भौतिक, गणित, रसायन 2-बी0काम0-प्रथम-प्लेन/अति0वि0-टेक्स प्रो. 3-बी0बी0ए0-प्रथम

(5)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	ज्ञान फाउण्डेशन, नई दिल्ली
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा0 डी0सी0 स्कूल आफ प्रोफेशनल स्टडीज, यशवंत निवास रोड, इंदौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-मास कम्युनिकेशन-प्रथम
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महावि. होने से राज्यशासन से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही वि.वि. द्वारा परिनियम 27 के प्रावधानों के तहत निरीक्षण समिति गठित कर विद्या परिषद् की स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार नवीन महावि. को संबद्धता देने की


 विशेष कार्यस्थल अधिकारी
 उच्च शिक्षा, अ.प्र.वि. विद्यालय
 मतपुड: 441 नोपाल (M.P.)

		कार्यवाही की जा सकेगी।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	10/20 कि.मी. में महा0 संचालित होने संबंधी अग्रणी प्राचार्य का प्रमाण पत्र नहीं, समिति का पंजीयन बायलॉज, धारा 27 में जीवित सदस्यों की सूची अप्राप्त संस्था के नाम से लीज संबंधी रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं, खेल मैदान तथा पाकिंग के दस्तावेज नहीं, अन्य दि.वि के पाठ्यक्रम नहीं संचालित करने संबंधी प्रमाण पत्र नहीं, पाठ्यक्रम शुल्क अन्तिम तिथि के पूर्व जमा नहीं।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन असासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन असासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी0ए0-मास कम्प्युनिकेशन-प्रथम

(8)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	वंशपति स्मृति शिक्षा समिति, रातीबड नेपाल
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा0 पटेल ग्रुप आफ इंस्टी0 रातामण्डल इंदौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0काम0-प्लेन-प्रथम/अति0वि0-टेक्स, कम्प्युटर, इश्योरिंश 2-बी0बी0ए0-प्रथम 3-बी0एससी0-प्रथम-भौतिक, गणित, रसा., अति0वि0-बाटनी, जूलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महावि. होने से राज्यशासन से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही दि.वि द्वारा परिनियम 27 के प्रावधानों के तहत निरीक्षण समिति गठित कर विद्या परिषद की स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद के निर्णयानुसार नवीन महावि. को संबद्धता देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. समिति का धारा 27 के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र पंजीयन कार्यालय में जमा होना नहीं पाया जाता है। 2. संलग्न भूमि परिवर्तन में सर्वे नं. 190, 192, 194 एवं 195 शैक्षणिक तकनीकी शिक्षा प्रमाण का उल्लेख है। सामान्य शिक्षा का नहीं। 3. भवन पूर्णत प्रमाण पत्र में भी न्यू टेक्नीकल इंस्टीट्यूट की स्थापना का उल्लेख है। 4. यह शैक्षणिक परिसर स्वीकृत परिसरा में बताया गया है जिसमें एक से अधिक शैक्षणिक संस्थायें संचालित प्रतीत होती है। अतः मार्गदर्शिका की कडिका (2.1.6) की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक महा0 के लिए पृथक भवन नहीं। 5. 20 किमी. के प्रमाण पत्र में भिन्नता है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	


विशेष कर्नल्यन्ध अधिकारी
 उच्च शिक्षा : राजनातय
 सतपुरा भवन, नेपाल (N.P.)

नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी०कॉम०-प्लेन-प्रथम/अति०वि०-टेक्स, कम्प्यूटर इंड्योरेंस 2-बी०बी०ए०-प्रथम 3-बी०ए०ससी०-प्रथम-भौतिक, गणित, रसा. अति०वि०-बाटनी, जूलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी

(7)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	स्व० मेहताब सिंह शिक्षण समिति, कसरावद जिला बड़वानी
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा० रूकमणी एकेडमी, खुशी बायपास रोड, ग्राम कसरावद जिला बड़वानी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०ए०-प्रथम-हिन्दी, इतिहास, राजनीति विज्ञान
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महावि. होने से राज्य शासन से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही वि.वि. द्वारा परिनियम 27 के प्रावधानों के तहत निरीक्षण समिति गठित कर विद्या परिषद् की स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार नवीन महावि. को संबद्धता देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	-समिति द्वारा प्रस्तुत नक्शा समिति के स्थान पर महा० के नाम से है। -भवन पूर्णता प्रमाण पत्र समिति के स्थान पर अध्यक्ष के नाम पर है। -भूमि का आयर्वसन व्यावसायिक प्रयोजन हेतु है। -खेल मैदान के संबंध में मार्गदर्शन की कंडिका 2.1.6 के अनुसार कलेक्टर से प्रमाणित नहीं है। -मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.5 क 2 के अनुसार बड़वानी जिले की 20 कि.मी. की बाध्यता नहीं है, किन्तु कंडिका 2.1.5 ख अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक प्रदेश संबंधी प्रमाण पत्र अग्रणी महा० का संलग्न नहीं है। -दस्तावेजों का सत्यापन अग्रणी महा० द्वारा नहीं कराया गया है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक
		बी०ए०-प्रथम-हिन्दी, इतिहास, राजनीति विज्ञान



 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजधानी
 सतपुरा नवन बायपास (एम.प्र.)

(8)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	इण्डो एजुकेशन एण्ड सर्विसेस सोसायटी समिति, ग्राम गडवाडा जिला झाबुआ
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	आई०पी०एस० ऐकेडमी, झाबुआ
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०काम०-प्लेन/अति०वि०कम्प्युटर ए० बी०काम०-आनर्स बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन, अति०वि०-कम्प्युटर साइंस, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महावि. होने से राज्य शासन से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही वि.वि. द्वारा परिचय 27 के प्रावधानों के तहत निरीक्षण समिति गठित कर विद्या परिषद् की स्थाई समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार नवीन महावि. को संबद्धता देने की कार्यवाही की जा सकेगी।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	शैक्षणिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन संबन्धी प्रमाण पत्र नहीं, नगर एवं ग्राम निवेश से स्कूल निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं भवन निर्माण की अनुमति सरपंच के ठहराव प्रस्ताव के साथ नहीं, खेल मैदान का स्पष्ट प्रमाण नहीं।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक
		बी०काम०-प्लेन/अति०वि०कम्प्युटर ए० बी०काम०-आनर्स बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन अति०वि०-कम्प्युटर साइंस, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०

(9)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सुराना एजुकेशन सोसायटी, पंकज दाल एण्ड बेसन मिल, मंदसौर
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशासकीय आचार्य राजेन्द्र सूरी शिक्षा महा० नीमच बायपास रोड मंदसौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०ए०-प्रथम(कम्प्यु.अंग्रेजी, राजनीति) 2-बी०सी०ए०-प्रथम 3-बी०बी०ए०-प्रथम 4-बी०एससी०-प्रथम


 विशेष कार्यस्थल अधिकारी
 उच्च शिक्षा : जन्मानालय
 सतपुरा भवन पोपल (म.प्र.)

		अति०वि०-कम्प्युटर 5-बी०काम०-प्लेन/अति०वि० कम्प्युटर	
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों के घयन नहीं होने से अनुशंसा नहीं की जा सकती है।	
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	नक्शा स्थानीय/शासकीय निकाय से अनुमोदित नहीं, खेल मैदान हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र नहीं, धारा 27 में नवीन सदस्यों की अनुमोदित सूची, डायवर्सन का सक्षम प्राधिकारी का आदेश नहीं, 10/20 कि.मी का कलेक्टर का प्रमाण पत्र नहीं, पाठ्यक्रम संचालन संबंधी कुल सचिव का प्रमाण पत्र/अध्यादेश नहीं, अन्य वि.वि. के पाठ्यक्रम न संचालित करने संबंधी घोषणा पत्र, ग्राम पंचायत के उद्देश्य प्रस्ताव सहित भवन निर्माण की अनुमति एवं भवन पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं है।	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी०ए०-प्रथम(कम्प्यु. अंग्रेजी, राजनीति) 2-बी०सी०ए०-प्रथम 3-बी०बी०ए०-प्रथम 4-बी०एससी०-प्रथम अति०वि०-कम्प्युटर 5-बी०काम०-प्लेन/अति०वि० कम्प्युटर

(10)


संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	उत्तम श्रृजन एजुकेशनल सोसायटी, रौरा रोड रतलाम
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा० श्रृजन कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, जौरा रोड रतलाम
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०एससी०-प्रथम(फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इंडस्ट्रीयल, माईक्रोबायोलॉजी) अति०वि० जूलॉजी, कम्प्यु०सा० एवं गणित, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी एवं रसायन 2-बी०काम०-प्रथम
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महा० के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है आवेदन अप्राप्त है इसलिए अनुशंसा नहीं की जा सकती है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. धारा 27 की सूची 2013 की है, नवीन सूची फर्म एवं सोसाइटी से अभिप्रमाणित अप्राप्त है। 2. भवन निर्माण अनुमति 1.03.2008 को इंजीनियरिंग महा० हेतु प्राप्त की गई है। 3. भवन का नक्शा समिति के नाम से न होकर प्रस्तावित महा० के नाम से है। 4. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शासकीय निकाय का प्रस्तुत नहीं


 विशेष कर्णव्यवस्था अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजनाल
 सतपुरा भवन, नेपाल (रा.प्र.)

		किया गया है 5.आडिट रिपोर्ट में समिति द्वारा महा0 भी संचालित होना प्रतीत होता है। 6. अपर कलेक्टर के प्रमाण पत्र 20 कि.मी की परिधि में पांच अशासकीय महा0 संचालित हैं जबकि अग्रणी महा0 द्वारा आवेदित पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रदत्त प्रमाण पत्र में विषय के स्थान पर विषय समूह संचालित होने के संबंध में निल जानकारी दी गई है।	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-प्रथम(फार्मर युटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इंडस्ट्रीयल, माईक्रोबायोलॉजी) अति0वि0 जूलॉजी, कम्प्यु0सा0 एवं गणित, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी एवं रसायन 2-बी0काम0-प्रथम

(11)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण	
1	समिति का नाम	संपूर्ण शिक्षा प्रसार समिति, उज्जैन	
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा0 एम्पल कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, खुईगढा रोड नगर परिषद, उर्देल तह0 नामदा जिला उज्जैन	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-कम्प्युटर सा0, गणित, भौतिक 2-बी0काम0-प्लेन/कम्प्यु0 ए0	
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महा0 के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, आवेदन अप्राप्त है इसलिए अनुशंसा नहीं की जा सकती है।	
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. धारा 21 की भूमि कय को अनुमति नहीं है। 2. शुल्क 5000 रु. कम जमा है।	
8	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-कम्प्युटर सा0, गणित, भौतिक 2-बी0काम0-प्लेन/कम्प्यु.ए.



 विशेष कार्यस्थल अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजनाथपुर
 बलपुरा मदन, कोवाल (म.प्र.)

(12)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	रुकमणी देवी शिक्षण एवं सामाजिक कल्याण समिति केवलारी जिला सिवनी
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	उराग महाविद्यालय, केवलारी सिवनी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०एससी०-प्रथम-बाटनी,केमिस्ट्री,जूर्लाजी, भौतिक एवं गणित
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	क्षेत्राधिकार में वर्तमान में सम्मिलित न होने के कारण अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	30 वर्षीय लीज में रकवा 0.06 है किन्तु निर्मित क्षेत्रफल में उल्लेख नहीं है, संलग्न नक्शे तथा लीजकर्ता के नाम भिन्न है, लीज रजिस्टर्ड प्रतीत नहीं होती है। पार्किंग हेतु कोई प्रमाणित अभिलेख संलग्न नहीं है। आवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में निर्मित क्षेत्रफल में भिन्नता है। दस्तावेजों का सत्यापन अग्रणी महा० द्वारा नहीं कराया गया है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रामाणिक पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक
		बी०एससी०-प्रथम-बाटनी केमिस्ट्री,जूर्लाजी, भौतिक एवं गणित

(13)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	न्यू सर्वोदय कल्याण समिति कटंगी सिवनी
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	एम०एम०टी० कालेज आफ एजुकेशन डोकरराजी तह० केवलारी सिवनी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०एससी०-कम्प्युटर,भौतिक,गणित, बाटनी,जूलाजी एवं रसायन
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	महा० रानी दुर्गावती वि०वि० के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में संघालित न होने के कारण अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. 10/20 कि.मी. का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है। 2. खेल मैदान 2000 वर्गमीटर बताया गया है जिसका स्पष्ट प्रमाण पत्र नहीं है। 3. समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महा० संचालन के लिए भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव संलग्न नहीं है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।


 विशेष कार्यस्थल अधिकारी
 उच्च शिक्षा : राजानासब
 कतपुर्वा भवन पोपल (म.प्र.)


6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०एससी०-कम्प्युटर, भौतिक, गणित, बाटनी, जूलाजी एवं रसायन

(14)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	लाधेश्वर लोधी कल्याण समिति, चांद तह० चोरई जिला छिन्दवाडा
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	श्रीराम चन्द्र कालेज आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी चांद जिला छिन्दवाडा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०ए० 2-बी०एससी
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	महा० रानी दुर्गावती वि०वि० के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में संघालित न होने के कारण अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	संस्था का आनलाईन आवेदन प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महा० के माध्यम से प्राप्त न होने के कारण विचार योग्य नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम

(15)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	शिक्षा वेलफेयर फाउण्डेशन ग्वालियर
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	त्रिलियंट इंस्टी० प्रोफेशनल स्टडीज महा० निवानी जिला टीकमगढ़
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०ए०, 2-बी०काम०-कम्प्युटर एप्लीशन 3-बी०बी०ए० 4-बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन, कम्प्युटर साइंस, बाटनी जूलाजी


 विशेष कर्नल/अध्यक्ष अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार
 सतपुरा भवन, जोधपुर (R.J.)

4	विश्वविद्यालय का अभिमत	विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः अभिमत देना संभव नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	1. किरायानामा अनुसार मूल खुला क्षेत्रफल 2240 वर्गफीट है। 2. खेल मैदान हेतु प्रस्तुत पंजीयन किरायानामा समिति के नाम न होकर अध्यक्ष के व्यक्तिगत के नाम से एवं शपथ पत्र का अभिप्रमाणन की कंडिका 2.1.6 के अनुसार कलेक्टर के द्वारा नहीं कराया गया है। 3. संस्था द्वारा प्रस्तुत किराये के मवन के नक्शों पर कक्षा की साइज का उल्लेख किया गया है। स्कूल का उल्लेख है। 4. दस्तावेजों का सत्यापन अग्रणी महा0 के प्राध्याय द्वारा नहीं कराया गया है। 5. मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.6(क) 2 के अनुसार टीकमगढ़ जिले हेतु 20 कि.मी. की बाध्यता नहीं है, किन्तु कंडिका 2.1.5(ख) के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक प्रदेश संबंधी अग्रणी महा0 के प्राध्याय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक 1-बी0ए0, 2-बी0काम0-कम्प्यूटर एप्लीशन 3-बी0बी0ए0 4-बी0एससी0-भौतिक, गणित, रसायन, कम्प्यूटर साइंस, बाटनी जूलॉजी

(16)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	मौं भाग्यवर्धिनी सरस्वती शिक्षा समिति, पन्ना
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	महाराजा अग्रसेन महा0 ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर पन्ना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-हिन्दी, राजनीति, समाज 2-बी0एससी0-कम्प्यूटर साइंस, भौतिक गणित
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	यह महा0 नवीन है एवं विश्वविद्यालय द्वारा एन ओ सी जारी करने के पूर्व निरीक्षण नहीं करवाया गया। महा0 संबधता जारी करने हेतु आवेदन करने पर निरीक्षण कराया जाता रहा है, अतः निरीक्षण के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अभिमत/परामर्श देना संभव नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	1. समिति का नाम भाग्यवर्धिनी सरस्वती शिक्षा समिति है जबकि 30 वर्षीय लीजडीड में समिति का नाम भाग्यवर्धिनी सरस्वती शिक्षा समिति अंकित है। 2. भूमि डायवर्सन व्यावसायिक उपयोग के लिए है।


 विशेष कर्नल्यरथ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, पञ्जाब राज्य
 लतापुरा नगर, लुधियाना (पं.प्र.)

		3. खेल मैदान की भूमि संबंधी कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 4. भवन पूर्णता प्रमाण 3940 वर्गफीट का है न्यूनतम 5.000 फीट आवश्यक है। 5. अग्रणी महा के निरीक्षण प्रतिवेदन के लिए भवन निर्माणाधीन बताया गया है अतः भवन अपूर्ण हो पार्किंग विकसित नहीं है। निरीक्षण के दौरान लिए गए चित्रों में भी भवन निर्माणाधीन की पुष्टि होती है।	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-हिन्दी,राजनीति, समाज 2-बी0ए0ससी0-कम्प्युटर साइंस, भौतिक गणित

(17)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण	
1	समिति का नाम	जनसेवा शिक्षा समिति, पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ	
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	जनसेवा कालेज आफ लॉ पृथ्वीपुर टीकमगढ	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-एल0एल0बी0 2-बी0ए0एल0एल0बी0	
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः अभिमत देना संभव नहीं है।	
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	अग्रणी महा0 के जांच दल के अनुसार संस्था भौतिक निरीक्षण के लिए तैयार नहीं थी, अतः निरीक्षण नहीं हो सका। अत एव प्रकरण विचार योग्य नहीं है।	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-एल0एल0बी0 2-बी0ए0एल0एल0बी0


 विशेष कर्नल्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा (राजधानी)
 मन्तपुरा भवन पोस्टा (म.प्र.)

(10)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	एस0सी जैन शिक्षा प्रसार समिति, छतरपुर
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	पं0 देव प्रभाकर शास्त्री कन्या महा0 गढेवारा छतरपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0, 2-बी0काम0, 3-बी0एससी0.
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः अभिमत देना संभव नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	धारा 27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची, धारा 21 की अनुमति नहीं है। डायवर्सन टेक्नीकल कॉलेज का है, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित करने संबन्धी ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव नहीं है, खेल मैदान पार्किंग की जानकारी अप्राप्त, मार्च 2016 तक की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय छोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक
		1-बी0ए0, 2-बी0काम0, 3-बी0एससी0.

(10)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	संगम सेवा एवं महिला उत्थान समिति छतरपुर
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	एँजिल महा0 सागर रोड छतरपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0 2-बी0एससी0
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, न ही एन ओ सी जारी की गई है अतः अभिमत/परामर्श देना संभव नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	मार्गदर्शिका की कंडिका 5(स) 1 अनुसार प्रारूप विचार योग्य नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
		निरंक

Asal
 विशेष कार्यपालक अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजधानी
 नतपुत्रा न.न. कोसल (म.प्र.)

नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0ए0 2-बी0एससी0
---	------------------	-----------------------

(20)

संख्या क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सरदार ज्ञानोदय शिक्षा समिति, पुंजी, पो. चोपना जिला- बैतूल (म.प्र.)
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	पद्मावती महाविद्यालय, पुंजी, पो. चोपना जिला- बैतूल (म.प्र.) 460440
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए. आपा.अंग्रेजी, राजनीति, अर्थशास्त्र, बी.कॉम. (अति. विषय टेक्नेशन.), बी.एससी. भौतिकी, गणित, रसायन, (अति.विषय माईक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर साईंस)
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा0 संबंधी अभिलेख दि0वि0 में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विदि0 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा परिनियम -27,28 के पालन हेतु महा0 से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. 10/20 कि.मी. परिधि में अशासकीय महा0 संचालित नहीं होने का मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, सत्यापित कौपी है। 2. समिति 4 मार्च 2016 से गठित है, पदाधिकारियों के नामों में 29.03.18 से परिवर्तन किया गया है, जबकि समिति द्वारा 13.4.18 को हस्तांतरित समिति संबंधी अभिलेखों में एवं पदाधिकारी की सूची में नामों में अंतर है। 3. मार्गदर्शिका सत्र 17.18 की कडिका 2.1.2 की कडिका (स) (1) के अनुसार समिति को किराये के भवन में महा0 संचालित करने की अनुमति हेतु समिति में तहसील/विकासखण्ड/जिले में कोई भी अशासकीय महा0 संचालित नहीं होने से अग्रणी महा0 का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 4. खेल मैदान का स्पष्ट चित्र व प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक बी.ए. आपा.अंग्रेजी, राजनीति, अर्थशास्त्र, बी.कॉम. (अति. विषय टेक्नेशन.), बी.एससी. भौतिकी, गणित, रसायन, (अति.विषय, माईक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर साईंस)


 विशेष कार्यप्रमुख अधिकारी
 उच्च शिक्षा, (अज्ञानालय
 सतपुरा नवन. पोपल (म.प्र.)

(21)

सरल क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	ऑस्कॉम फार्चून एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	श्री बालाजी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, ग्राम रसूलिया गोसाई, रातीबड़, भोपाल(म.प्र.)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.बी.ए. बी.कॉम, बी.जे., बी.पी.एड.
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा० संबंधी अभिलेख विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं है शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, तथा परिनियम 27-28 हेतु महा० से शपथ पत्र प्राप्त किये जावे।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. समिति की वर्तमान पदाधिकारियों की सूची 4.1.2017 तक मान्य है। 2. 20/10 कि.मी. की परिधि में अशासकीय महा० संचालित नहीं होने का प्रमाणपत्र कंडिका 2.1.5(क) की (कलेक्टर द्वारा) संलग्न नहीं है। अग्रणी प्राचार्य के द्वारा भी नियमानुसार प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। 3. भूमि कय हेतु धारा 21 की अनुमति, भूमि का डायवर्सन भवन निर्माण की अनुमति भवन पूर्णता प्रमाण पत्र, भवन का निर्मित संबंधी दरतावेज संलग्न नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के अन्वय पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक
		बी.बी.ए. बी.कॉम, बी.जे., बी.पी.एड.

(22)


सरल क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	एलाएन्स करल एण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट सोसायटी, भोपाल एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट, वार्ड 14-छीपावद, खिरकिया (हरदा)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.सी.ए. -प्रथम वर्ष, बी.सी.ए. प्रथम वर्ष (गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर साइंस), बी.एस. डबल्यू -प्रथम वर्ष
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा० संबंधी अभिलेख वि०वि० में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर वि०वि० द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा परिनियम -27,28 के पालन हेतु महा० से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1.भूमि डायवर्सन में व्यावसायिक प्रयोजन(मंगल भवन) का

Agal
 विशेष कर्तव्य अधिकारी
 उच्च शिक्षा : अन्तर्नालय
 कल्याण भवन, भोपाल (म.प्र.)

		उल्लेख है। 2. 20 कि.मी. के दायरे में विष्णु राजोरिया कालेज(अशासकीय)संचालित है। जिससे संचालित पाठ्यक्रम का उल्लेख नहीं है। 3. 30 वर्ष की भूमि भवन की लीज डीड का पंजीयन नहीं हुआ है। 4. खेल मैदान का साक्ष्य संलग्न नहीं है। 5. भवन निर्माण संबंधी नक्शा मंगल के लिए है तथा उसी का पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न है।	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी.सी.ए - प्रथम वर्ष, बी.सी.ए. प्रथम वर्ष (गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर साइंस), बी.एस. डबल्यू - प्रथम वर्ष.

(23)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	स्व. नरबंदा प्रसाद लोक कल्याण समिति, गंज बासौदा (विदिशा)।
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	नरबंदा कन्या महाविद्यालय, ग्राम बरैठ, गंज बासौदा (विदिशा)।
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए - प्रथम वर्ष, बी.बी.ए. प्रथम वर्ष
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा० संबंधी अभिलेख दि०वि० में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर वि०वि० द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा परिनियम -27.28 के पालन हेतु महा० से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज डीड के दस्तावेज में प्रथम पत्र मुकेश शर्मा पददाता है जबकि पददा से संबंधित भूमि अभिलेखों में मुकेश गुप्ता के नाम का उल्लेख है, अतः दस्तावेज भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित करते हैं। 2. खेल मैदान की भूमि संबंधी दस्तावेज के नियमानुसार संलग्न नहीं है, एवं पंजीकृत भी नहीं है। 3. 20/10 कि.मी. की परिधि में अशासकीय महा० संचालित होने का प्रमाण पत्र अग्रणी महा० का प्रमाण संलग्न नहीं है। 4. पंजीकृत समिति के सदस्यों का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा क्योंकि धारा 27 की 18/08/16 को समाप्त हो चुकी है। 5. भवन निर्माण अनुमति संलग्न नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के	


 विशेष कर्मचारी अधिकारी
 उच्च शिक्षा :- गन्धानातक
 कलापुस्तक भवन, पोखरा (म.प्र.)

आधार पर		
नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी.ए. - प्रथम वर्ष, बी.बी.ए. प्रथम वर्ष

(24)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	न्यू एक्टिव एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय, कुरावर, तहसील नरसिंहगढ़ (राजगढ़)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति. विषय- गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साईंस), बी.ए. (हिन्दी सा., राजनीति, समाजशास्त्र) अति. विषय इतिहास, कम्प्यूटर एप्ली.
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा० संबंधी अभिलेख वि०वि० में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर वि०वि० द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा परिनियम -27,28 के पालन हेतु महा० से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	शैक्षणिक कक्षाएँ तो पर्याप्त हैं किन्तु उनका क्षेत्रफल (400.128) पर्याप्त नहीं है। मार्गदर्शिका की कडिका 2.1.5 (ख) के अनुसार वांछित नवीन पाठ्यक्रम भूत वर्ष में अधिक प्रवेश होने संबंधी अग्रणी महा० के प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति. विषय- गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साईंस), बी.ए. (हिन्दी सा., राजनीति, समाजशास्त्र) अति. विषय इतिहास, कम्प्यूटर एप्ली.


 विशेष कार्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा (महानायालय)
 सतपुरा मंत्र. भोपाल (म.प्र.)

(25)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	स्व. पंडित श्री ग्यारसीराम शर्मा शिक्षा समिति, राजगढ़ (स.प्र.)
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	प्रेस्टिज कॉलेज ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, राजगढ़।
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए. (अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र) अति.विषय इतिहास, बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति.विषय बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साईंस, बी.एससी. - प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर साईंस गणित, भौतिकशास्त्र) अति.विषय रसायनशास्त्र
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा० संबन्धी अभिलेख डि०वि० में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर डि०वि० द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा परिनियम -27,28 के पालन हेतु महा० से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.4 समिति के महा० हेतु मानदण्ड के अंतर्गत नवीन महाविद्यालय भवन हेतु महा० परिसर से क्षेत्रफल कम से कम 4000 वर्गफीट होना अनिवार्य है, की पूर्ति समिति द्वारा नहीं की जा रही है। समिति के पास उपलब्ध प्लॉट का एरिया 60x40=2400 वर्गफीट है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक
		बी.ए. (अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र) अति.विषय इतिहास, बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति.विषय बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साईंस, बी.एससी. - प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर साईंस गणित, भौतिकशास्त्र) अति.विषय रसायनशास्त्र

(28)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कॉमिन्जो एजुकेशनल सामाजिक लोक कल्याण समिति, इन्दौर (स.प्र.)
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	देलही कॉलेज, ग्राम रिछाड़िया, देवन खेड़ी रोड, कन्नौद रोड,

Handwritten Signature
 विशेष कार्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, राजगढ़
 सतपुरा, राजगढ़ (स.प्र.)

		आष्टा, सीहोर (म.प्र.)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए.-आनर्स प्लेन प्रथम वर्ष (हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र), अति. विषय, इतिहास, कम्प्यूटर बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति. विषय, भौतिकी, बायोटेक्नोलॉजी, गणित, कम्प्यू, एप्ली.) बी.कॉम.-ऑनर्स-प्लेन- प्रथम वर्ष अति. विषय, कम्प्यूटर साईंस
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा० संबंधी अभिलेख वि०वि० में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर वि०वि० द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा परिनियम -27.28 के पालन हेतु महा० से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	1. मार्गदर्शिका की कोडिका 2.1.5(क) के तहत प्राचार्य एवं कलेक्टर का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है। 2. अग्रणी महा० के निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित नवीन महा० का भवन निर्माणाधीन बताया गया है। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन में 20 किमी. की परिधि में शासकीय व अशासकीय महा० संचालित बताये गये हैं। 4. शुल्क 80,000/- कम जमा है। 5. धारा 21 का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 6. ग्रामीण क्षेत्र में महा० संचालन के लिए भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव संलग्न नहीं है। 7. आवेदित विषयों की विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक बी.ए.-आनर्स प्लेन प्रथम वर्ष (हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र), अति. विषय, इतिहास, कम्प्यूटर बी.एससी.- प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति. विषय, भौतिकी, बायोटेक्नोलॉजी, गणित, कम्प्यू, एप्ली.) बी. कॉम.-ऑनर्स-प्लेन- प्रथम वर्ष अति. विषय, कम्प्यूटर साईंस

(27)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री सूर्यनारायण एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, ग्राम झरखेड़ा, तहसील-श्यामपुर सीहोर (म.प्र.)
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशासकीय सरदार पटेल महाविद्यालय, ग्राम झरखेड़ा, तहसील-श्यामपुर सीहोर (म.प्र.)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.कॉम.(अति.विषय कम्प्यूटर एप्ली. सहित), बी.सी.ए. -प्रथम


 विशेष कार्यदायक अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजनीति, समाजशास्त्र
 सतपुरा मदन, बयान (म.प्र.)

		वर्ष, बी.ए. -प्रथम वर्ष--(इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र), बी.बी.ए. प्रथम वर्ष
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा0 संबंधी अभिलेख वि0वि0 में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विधि0 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा परिनियम -27,28 के पालन हेतु महा0 से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. भूमि के पंजीयन अभिलेखन सलग्न नहीं है। 2. भूमि का क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं है। 3. भूमि का डायवर्सन नहीं है। 4. खेल मैदान की स्पष्ट जानकारी नहीं है। 5. 10/20 कि.मी की परिधि का कडिका 2.1.5(क) में अनुसार निर्धारित प्रमाण प्रतिवेदन नवीन महा0 प्रारंभ नहीं है। 6. अग्रणी महा0 के निरीक्षण प्रतिवेदन में नवीन महा0 प्रारंभ नहीं करने संबंधी अभिमत दिया है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन असासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन असासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक बी.कॉम.(अति.विषय कम्प्यूटर एप्ली. सहित), बी.सी.ए. -प्रथम वर्ष, बी.ए. -प्रथम वर्ष--(इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र), बी.बी.ए. प्रथम वर्ष

(28)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	दीप दलितोद्धार संस्कार केन्द्र, भैसदेही,जिला- बैतूल (म.प्र.)
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	गुलाबचंद घीडोडे कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड प्रोफेशनल आर्ट्स भैसदेही जिला- बैतूल (म.प्र.)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए.आ.पा., राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र (अति.विषय इतिहास), बी.एससी.रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र (अति. विषय माइक्रोबैयोलॉजी, बायोटैक), बी.एससी.रसायन, गणित, भौतिकशास्त्र (अति. विषय कम्प्यूटर साइंस), बी.एससी.रसायन, प्राणीशास्त्र, फूड एण्ड न्यूट्रिशन, बी.सी.ए.
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महा0 संबंधी अभिलेख वि0वि0 में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विधि0 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा परिनियम -27,28 के पालन हेतु महा0 से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	अग्रणी महा0 के अभिमत अनुसार प्रस्तावित नवीन महा0 में लीज डीड के अनुसार उल्लेखित कक्ष एवं


विशेष कार्यकारी अधिकारी
उच्च शिक्षा, राजनामस
राजपुरा, बस्न, कोटा (रा.प्र.)

		शीमालय नहीं है, अतः नवीन महा0/विषय प्रारंभ किये जाने की अनुशांसा नहीं की गई है।	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी.ए.आ.पा., राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र (अति.विषय इतिहास), बी.एससी.रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र (अति.विषय माइक्रोबायोलॉजी, बायोटैक), बी.एससी.रसायन, गणित, भौतिकशास्त्र (अति. विषय कम्प्यूटर साइंस), बी.एससी. रसायन, प्राणीशास्त्र, फूड एण्ड न्यूट्रिशन, बी.सी.ए.

(29)

सरल क्रमांक	विन्दु	विवरण	
1	समिति का नाम	मौ. वैष्णवी शिक्षा समिति, भडूस, जिला- बैतूल(म.प्र.)	
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	वैष्णवी कॉलेज, भडूस, जिला- बैतूल (म.प्र.)	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए.आ.पा., राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र (अति.विषय अर्थशास्त्र), बी.ए.आ.पा., हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र (अति.विषय इतिहास) बी.कॉम.(अति.विषय कम्प्यूटर एप्ली.), बी.एससी.रसायन, गणित, भौतिकशास्त्र (अति.विषय कम्प्यूटर), बी.एससी.रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र (अति. विषय माइक्रोबायोलॉजी), एल.एल.बी.	
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	आवेदित नवीन महाविद्यालय संबन्धी अभिलेख वि.वि. में उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण पत्र के आधार पर वि.वि. द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा परिनियम 27,28 के पालन हेतु महाविद्यालय से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।	
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	कडिका 2.1.5(क)(1) की पूर्ति नहीं, अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के प्रमाण पत्र के अनुसार 10 कि.मी. से कम दूरी 6.37 कि.मी. पर महा0 संचालित है। अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु	अमान्य	बी.ए.आ.पा., राजनीति,


 विशेष कर्तव्य अधिकारी
 उच्च शिक्षा, भंडारनायक
 सतपुरा मदन, बोगस (म.प्र.)

प्रकरण अमान्य किया जाता है।	पाठ्यक्रम	इतिहास, समाजशास्त्र (अति. विषय अर्थशास्त्र), बी.ए.आ. पा. हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र (अति.विषय इतिहास) बी.कॉम.(अति.विषय कम्प्यूटर एप्ली.), बी.एससी. रसायन, गणित, भौतिकशास्त्र (अति.विषय कम्प्यूटर), बी.एससी.रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र (अति. विषय माइक्रोबायोलॉजी), एल.एल.बी.
-----------------------------	-----------	---

(30)

सरल क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कृष्णकमल जनहिताय समिति, नागौद सतना
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	महात्मा गांधी कालेज आफ एण्ड साइंस नागौद सतना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०ए०-भूगोल,अर्थशा. राजनीति, कम्प्युटर, समाज हिन्दी साहित्य, बी०एससी०-भौतिक,गणित, रसायन, कम्प्युटर बाटनी जूलॉजी बायोटेक बी०काम० आनर्स एवं बीसीए
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	अधिनियम की धारा 26(1)(v) एवं परिनियम-27 की कंडिका 4 के तहत शासन की अनुमति प्राप्त होन के परघात वि०वि० विचार कर सकता है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	खेल मैदान के लिए ग्राम पंचायत गिजारा का खेल मैदान उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र दिया है, जो नियमानुसार मान्य योग्य नहीं है। 2. भवन लीज का है, भवन निर्माण पूर्ण नहीं है। प्रथम तल में निर्माण हुआ है. द्वितीय तल का निर्माण कार्य प्राप्त है। भूमि का परिवर्तन प्रमाण पत्र नहीं है। लीज पूर्ण निर्मित भवन की बताई गई है जो सही नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रालिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक
		बी०ए०-भूगोल,अर्थशा. राजनीति, कम्प्युटर, समाज हिन्दी साहित्य, बी०एससी०-भौतिक,गणित, रसायन, कम्प्युटर बाटनी जूलॉजी बायोटेक बी०काम० आनर्स एवं बीसीए


(Signature)
 विशेष कार्यस्थल अधिकारी
 उच्च शिक्षा, राजनागौर
 कच्छ, राज. कोकण (ग.प्र.)

(31)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कुण्डवासिनी शिक्षण एवं विकास समिति, सीधी
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	एम0आई0टी0 महा0 लामसरई चिंतरंगी सिंगरौली
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0बी0ए0, बी0ए0-कम्प्युटर बीसीए
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	नवीन महा0 के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है आवेदन अप्राप्त है इसलिए अनुशसा नहीं की जा सकती है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. सस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तुत प्रमाणपत्र नियमानुसार तहसीलदार से अभिप्रमाणित नहीं है। 2. बायलॉज की छायाप्रति अपठनीय है। 3. अध्यक्ष का आय प्रमाण पत्र स्वचोषित दिया गया है। 4. डायवर्सन अध्यक्ष के नाम से है। 5. भवन का नक्शा समिति के नाम के स्थान पर प्रमाणित महा0 के नाम से है तथा शासकीय निर्माण से प्रमाणित नहीं है। 6. भवनपूर्णता प्रमाण पत्र में प्रस्तावित के स्थान पर संचालित महा0 का उल्लेख है तथा प्रमाणपत्र अध्यक्ष के नाम से ही है। 7. 20 कि.मी के संबंध में कलेक्टर का प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं है। 8. अग्रणी महा0 का निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। 9. धारा 21 की अद्यतन की जानकारी कम एवं सांसायटी से अभिप्रमाणित अप्राप्त है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक
		बी0बी0ए0, बी0ए0-कम्प्युटर बीसीए

(32)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	युवा कल्याण एवं नवीन एजुकेशन सोसा0 त्योंथर जिला रीवा
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	डिजीटल कालेज एजुकेशन कोतमा अनूपपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0काम0-प्लेन/कम्प्युटर, बी0बी0ए0
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	अधिनियम की धारा 26(1)(v) एवं परिनियम-27 की कडिका 4 के तहत शासन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वि0वि0 विचार कर सकता है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. किसानों पर लिए गये भवन का क्षेत्रफल 2970 वर्ग फीट पर निर्मित भवन को दर्शाया गया है। मार्गदर्शन को कडिका 2.1.4 हेतु भवन संबंधी मानदण्ड 5000 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र की पूर्ति नहीं होती है।


 विशेष कर्नल्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, अशासकीय
 महाविद्यालय, कोतमा (ए.ए.)

		2. कडिका 2.1.2(स) के अनुसार किराये के भसयन में महाविद्यालय के संचालन हेतु संबंधित तहसील/विकासखंड/जिले में कोई भी अशासकीय महा0 संचालित नहीं होने से प्राचार्य अग्रणी महा0 का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 3. 20 किमी. की परिधि में अशासकीय महा0 संचालित नहीं होने से प्रमाण पत्र (कडिका 2.1.5(इ)) राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 4. भवन का पूर्णतः प्रमाण पत्र भी नहीं है।	
8	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0काम0-प्लेन/कम्प्यूटर, बी0बी0ए0

(33)

संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण	
1	समिति का नाम	कृष्णाउराम शिक्षा एवं जनकल्याण समिति, रीवा	
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	कृष्णा महा0 मनगंवा जिला रीवा	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-अर्थशा.समाज, इतिहास, कम्प्यूटर बी0एससी0-भौतिक, गणित, रसायन, बाटनी, जूलॉजी बी0काम0 /कम्प्यू0 एप्ली	
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	अधिनियम की धारा 26(1)(v) एवं परिनियम-27 की कडिका 4 के तहत शसन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वि0वि0 विचार कर सकता है।	
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कठिनाई	1. धारा 27 की अद्यतन फर्म्स एवं सोसायटी से प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं है। 2. धारा 21 की अनुमति अप्राप्त है। 3. भवन निर्माण अनुमति अध्यक्ष के नाम से है तथा दिनांक 01.05.16 अंकित है। 4. भवन पूर्णता प्रमाण पत्र में निर्मित क्षेत्रफल 23074 वर्गफीट है जिसमें पाठ्यक्रम का उल्लेख है एवं पूर्णता तिथि दिसम्बर अंकित है। 5. दस्तावेजों का सत्यापन अग्रणी महा0 प्राप्त नहीं कराया गया है। 6. अग्रणी के भौतिक सत्यापन में समान परिसर में इंजीनियरिंग महा0 संचालित होने का उल्लेख है तथा 20 कि.मी. में अन्य अशासकीय महा0 संचालित नहीं होने से एस.डी.एम के प्रमाण पत्र को संदिग्ध उल्लेखित किया है।	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित	मान्य	निरंक


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, मन्दासराज्य
 राजभवन, कोटा (रा.प्र.)


अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	पाठ्यक्रम	
नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०ए०-अर्थशा.समाज, इतिहास, कम्प्यूटर बी०एससी०-नीतिक, गणित, रसायन, बाटनी जूलॉजी बी०काम० / कम्प्यू० एप्ली

(34)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	जैन बाल विद्या मंदिर समिति, कांता टोला सतना
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	के०सी० जैन गर्ल्स कालेज कामता टोला सतना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०ए०, बी०एससी०,- नीतिक, गणित, कम्प्यूटर बी०काम०, पीजीडीसीए
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	अधिनियम की धारा 26 (1)(खी.) एवं परिनियम 27 की कडिका 4 के तहत शासन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वि.वि विचार कर सकता है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	भवन का नक्शा स्थानीय निकाय से अनुमोदित नहीं, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन नहीं, 10/20 कि.मी का तहसीलदार का प्रमाण पत्र कडिका 2.1.5 (क) के अनुरूप नहीं, पीजीडीसीए स्नातकोत्तर होने से विचार योग्य नहीं, खेल मैदान का स्पष्ट साक्ष्य नहीं, अग्रणी महा० के प्रमाण पत्र में बी.एस.सी., बीकॉम संचालित होने से पाठ्यक्रम विचार योग्य नहीं
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी०ए०, बी०एससी०,- नीतिक, गणित, कम्प्यूटर बी०काम०, पीजीडीसीए

(35)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सिद्धी विनायक एजु० एवं समाज कल्याण समिति, रीवा
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	सिद्धी विनायक महा० जगमल ब्योहारी जिला शहडोल
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०ए०-अर्थशा., भूगोल, इतिहास, समाज, हिन्दी बी०काम०-प्लेन / कम्प्यूटर एप्लीकेशन


 विशेष कार्यकारी अधिकारी
 उच्च शिक्षा (कमजोमानलय
 सतपुरा नवन. कोषाल (म.प्र.)

4	विश्वविद्यालय का अभिमत	अधिनियम की धारा 26 (1)(v) एवं परिनियम 27 की कड़िका 4 के तहत शासन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वि.वि विचार कर सकता है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	आवेदित पाठ्यक्रमों की तुलना में रुपये 25000/- शुल्क कम जमा है, मार्गदर्शिका की कड़िका 2.1.5 के अन्तर्गत अग्रणी महा0 का प्रमाण पत्र सील रहित होने से मान्य योग्य नहीं, भवन पूर्णतः प्रमाण पत्र मान्य योग्य नहीं, भवन निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र में ओवर राइटिंग, डायवर्सन का आदेश नहीं, धारा 21 की अनुमति नहीं, खेल मैदान का प्रमाण पत्र कलेक्टर से प्रमाणित नहीं पाकिंग की जानकारी नहीं, ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में संचालन संबंधी प्रमाण पत्र नहीं !
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	संपरोक्ष परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर
	नवीन असासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	नवीन असासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक बी0ए0-अर्थशा., नृगोल, इतिहास,समाज, हिन्दी बी0काम0-प्लेन/कम्प्युटर एप्लीकेशन

(36)


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	जय सेवा संस्थान मुरैना
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	जय दुर्गा शिक्षा महा0 बसैया जिला मुरैना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-हिन्दी, इतिहास,राजनीति बी0एससी0-भौतिक,गणित,रसायन, बाटनी, जूलॉजी कम्प्युटर सा0, बी0काम0-प्लेन
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	कार्यालय के पास समिति द्वारा नवीन महा0 हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	1. 23.10.16 का कलेक्टर का प्रमाण पत्र जो वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता है। 2. आय प्रमाण पत्र 05.12.14 का है, जो वर्तमान में मान्य नहीं होगा। 3. प्रस्तुत दस्तावेज अग्रणी महा0 से सत्यापित नहीं। मार्गदर्शिका की (कड़िका(स) (5)) 4. भूमि अध्याज जय सेवा संस्थान के नाम से है। 5. भूमि का डायवर्सन 11.05.15 का है जबकि निर्माण की अनुमति 20.07.13 का है। और पूर्णता पत्र 15.06.15 का है। 6. नक्शे में प्रयोगशाला एवं लाइब्रेरी नहीं हैं।


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
 सतपुरा भवन, बोधगढ़ (M.P.)

8	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०ए०-हिन्दी, इतिहास, राजनीति बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन, बाटनी जूलॉजी कम्प्यूटर सा० बी०काम०-प्लेन

(37)

संख्या क्रमांक	विन्दु	विवरण	
1	समिति का नाम	सोलंकी एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसा० अशोकनगर	
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	श्री द्रोणाचार्य डिग्री महा० अशोकनगर	
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०ए०-हिन्दी, अर्थशा. इतिहास, राजनीति समाज बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी कम्प्यूटर बाटनी बी०काम०-प्लेन / कम्प्यूटर	
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	कार्यालय के पास समिति द्वारा नवीन महा० हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।	
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये किरायेनामे में महा० भवन का निर्मित क्षेत्रफल 4,000 वर्गफिट दर्शाया गया है। अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं है।	
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर		
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०ए०-हिन्दी, अर्थशा. इतिहास, राजनीति समाज बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी कम्प्यूटर बाटनी बी०काम०-प्लेन / कम्प्यूटर


 विशेष कर्नल/उच्च शिक्षा अधिकारी
 उच्च शिक्षा, अमान्यलय
 अतापुरा, अमान्य, अतापुरा (अ.प्र.)

संरल क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	संविधि का नाम	श्री रावलपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट लहार जिला निपुड
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	श्री रावलपुरा सरकार संस्कृत महा10 लहार
3	आर्वाहित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम संस्कृत
4	विरासविद्यालय का अभिमत	कार्यालय के पास संविधि द्वारा नवीन महा10 हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
5	परिक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	आर्वाहित पाठ्यक्रमों का निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है तथा नवीन महा10 एवं बिलब शुल्क भी सम्प्रसूचना उपरान्त जमा किया गया है। अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परिक्षण टीप एवं विरासविद्यालय के अभिमत के आधार पर	मान्य पार्यक्रम निरंक
	नवीन आशासकीय महाविद्यालय तथा आर्वाहित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। नवीन आशासकीय महाविद्यालय कोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	मान्य अनापत्ति
		अमान्य
		बी0ए0-प्रथम संस्कृत

संरल क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	संविधि का नाम	जय लक्ष्मीनाथरायण शिक्षा एवं समाज कल्याण संविधि, भोपाल
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	लक्ष्मीनाथरायण कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, म्वालिपूर
3	आर्वाहित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-राजनीति,अर्थशा. समाजशा. बी0एसी0-भौतिक,गणित,रसायन बी0काभ0-स्लेन /कम्प्युटर ए0 बी0बी0ए0
4	विरासविद्यालय का अभिमत	कार्यालय के पास संविधि द्वारा नवीन महा10 हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
5	परिक्षण में पाई गई मुख्य कमियाँ	संस्था द्वारा पाठ्यक्रम का शुल्क जमा नहीं किया गया है। अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परिक्षण टीप एवं विरासविद्यालय के अभिमत के आधार पर	मान्य आर्वाहित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
		मान्य अनापत्ति
		पाठ्यक्रम
		निरंक

Handwritten signature

नदीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०ए०-राजनीति,अर्थशा. समाजशा. बी०एससी०-भौतिक,गणित, रसायन	बी०एससी०-रसायन /कम्प्युटर र बी०बी०ए०
---	------------------	--	--------------------------------------

(40)

संरल क्रमांक	विषय	विवरण
1	सभित्ति का नाम	मीरादेवी एजुकेशन सोसायटी फरीदाबाद
2	नदीन महाविद्यालय का नाम	मीरा देवी महा० कमुआ पिछोर जिला शिवपुरी
3	अर्जित नदीन पाठ्यक्रम	बी०ए०-राजनीति,अर्थशा. समाजशा. बी०एससी०-भौतिक,गणित कम्प्युटर
4	विराविद्यालय का अभिमत	बी०एससी०-बी०ए०-एल०एल०बी०, एल०एल०बी० कालांतर के पास सभित्ति द्वारा नदीन महा० हेतु कोई भी अतिरिक्त प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी दिया जाता संभव नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कठिनाया	संस्था द्वारा गत वर्ष में जमा किए गए शुल्क की छायाप्रति संलग्न की गई है, वर्तमान सत्र के लिए शुल्क जमा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति प्रकरण विचार योग्य नहीं। गत वर्ष नदीन महाविद्यालय की अनुमति प्राप्त न होने से जमा किया गया शुल्क आवदन प्राप्त होने पर वापस किया जा चुका है। प्रकरण विचार योग्य नहीं है।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टाँप एवं विरविद्यालय के अभिमत के आधार पर	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टाँप एवं विरविद्यालय के अभिमत के आधार पर
	नदीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आर्क्षित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के विषये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टाँप एवं विरविद्यालय के अभिमत के आधार पर
	नदीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी०ए०-राजनीति,अर्थशा. समाजशा. बी०एससी०-भौतिक,गणित कम्प्युटर
		बी०एससी०-एल०एल०बी० एल०एल०बी०


डिप्टी कमिश्नर अतिरिक्त
उच्च शिक्षा, (अमान्यताएं)
बलपुरी ब्लॉक, (गणित वि.प्र.)

(41)

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	त्रिभुवन शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति मोहना, ग्वालियर
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	मी पीताम्बरा महा० खतौरा बदरवास जिला शिवपुरी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन कम्प्युटर वनस्पति, प्राणी एवं माइक्रोबायोलॉजी
4	विश्वविद्यालय का अभिमत	कार्यालय के पास समिति द्वारा नवीन महा० हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः उक्त के संबन्ध में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
5	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	समिति के जीवित सदस्यों की धारा 27 के दस्तावेज, वि. वि का ऑडिनेन्स, किसी अन्य महा० का संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र, पंजीयक/उपपंजीयक शिवपुरी से बाजार मूल्य पर लीज डीड जारी करने का प्रमाण पत्र, लीज डीड के संबन्ध में डायवर्सन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णतः प्रमाण पत्र, निर्मित क्षेत्रफल आदि के दस्तावेज पूर्ण नहीं।
6	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :- उपरोक्त परीक्षण टीप एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर	
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय तथा आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम निरंक
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रकरण अमान्य किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन कम्प्युटर वनस्पति, प्राणी एवं माइक्रोबायोलॉजी

विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय। अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 585/378/आजशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक— 15/03/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (मप्रप्र)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
- 4- कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 5- प्राचार्य, समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, म.प्र.